प्रेस विज्ञपित
(दिनांक–08.11.2020)

श्रीनारायण सिंह हत्या कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले रामप्रवेश राय को गिरफतार किया गया ।

श्रीनारायण सिंह हत्या कांड (पुरनहिया थाना कांड सं0–150/20 दिनांक– 25.10.20 धारा–302/120(बी)/307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट) में लाईनर की भूमिका निभाने वाले श्रीनारायण सिंह के ग्रामीण रामप्रवेश राय, पे0–स्व0 गुदरी राय,सा0–नयागॉव, थाना–श्यामपुर भटहॉ, थाना–शिवहर को गिरफतार किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि इन्हें श्रीनारायण सिंह से पुरानी रंजीश चली आ रही है। पूर्व में इनके चाचा की हत्या श्रीनारायण सिंह द्वारा की गई थी। इन्हें उनके द्वारा एक हत्या कांड में झुठा फॅसाया गया था। इन्हीं सब रंजीश एवं कई वर्षो से चले आ रहे दुश्मनी को लेकर ये उससे बदला लेना चाहते थे। इसी कम में ये विकास झा उर्फ कालिया एवं उनके सहयोगियों के संपर्क में आये। ये श्रीनारायण सिंह की गतिविधि की सूचना विकास झा उर्फ कालिया के गिरोह के शुटर/सहयोगियों को उपलब्ध कराते थे। इसी कम में दिनांक 24.10.2020 को श्रीनारायण सिंह के चुनाव प्रचार के लिए ग्राम–हथिसार में आने की सूचना दिये जहॉ विकास झा उर्फ कालिया के शुटर/सहयोगियों द्वारा गोली मारकर श्रीनारायण सिंह की हत्या कर दी गई है।

गिरफतार अभियुक्त रामप्रवेश राय द्वारा लाईनर की भूमिका निभाने की बात स्वीकार किया गया है।

शिवहर थाना अंतर्गत महिला की हत्या में मृतक महिला के पति अरबिन्द राम,पे0–स्व0 योगेन्द्र राम, वार्ड नं0–03, थाना+जिला–शिवहर को गिरफतार किया गया।

शिवहर थाना के ग्राम–माधोपुर अनंत के प्रियंका कुमारी,पे0–किशोरी राम की हत्या दिनांक–07.11.2020 का कर दी गई थी। इस संबंध में मृतिका के पिता किशोरी राम के द्वारा शिवहर थाना कांड सं0– 349/20 दि0 07. 11.2020 धारा–302/भा0द0वि0 दर्ज करवाया गया था। इस कांड का उदभेदन कर लिया गया तथा इसके अनुसंधान के कम में यह बात सामने आई है कि अरबिन्द राम,पे0–स्व0 योगेन्द्र राम, वार्ड नं0–03 को अपने पत्नी की अवैद्य संबंध का पता चलने पर पत्नी की हत्या कर दी गई। अभियुक्त अरबिन्द्र राम को गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त पति अरबिंद राम ने अपना अपराध स्वीकार किया है।

पिपराही थाना अंतर्गत आपसी विवाद में एक महिला की मौत के मामले में अभियुक्त सुधीर कुमार,पे0–गणेश पासवान, सा0–मोहनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर को गिरफतार किया गया।

पिपराही थाना के ग्राम– मोहनपुर में भूलन पासवान,पे0–स्व0 अकलू पासवान तथा गणेश पासवान, पे0–स्व0 नथुनी पासवान के बीच भूमि विवाद को लेकर विवाद हुआ था और दोनो पक्षों के बीच झड़प हो गई जिसमें दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए। जख्मी भूलन पासवान की पत्नी को सदर अस्पताल,शिवहर लाया गया जहॉ से बेहतर ईलाज के लिए एस0के0एम0 सी0एच0,मुजफ्फरपुर भेजा गया था जहॉ ईलाज के दौरान जख्मी भूलन पासवान की पत्नी की मृत्यु हो गई।

इस संबंध में पिपराही थाना कांड सं0–247/20 दि0 06.11.2020 धारा–302/323/324/ 307/504/506/34 भा0द0वि0 अंकित किया गया है। इस कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त सुधीर कुमार,पे0–गणेष पासवान, सा0–मोहनपुर, थाना–पिपराही, जिला– शिवहर को गिरफतार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA